



AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION, DIGGI (TONK)
(SKN AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)
कृषि अनुसंधान उप-केन्द्र, डिग्गी
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर

R. K. Meena
Officer Incharge

Mobile No. 9910993608
Email-incharge.arss.diggi@sknau.ac.in

No. F ()/Estt/ARSS/Diggi/2026-27/ 54-58

Date: 27.05.2026

हिस्सा आधारित खेती की खुली निविदा सूचना
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) द्वारा हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

| क्र.सं. | विवरण | अवधि | अनुमानित राशि | बोली प्रतिभूति (bid security) (₹) | निविदा शुल्क (₹) | निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|--|
| 1. | हिस्सा आधारित खेती | खरीफ 2026, रबी 2026-27 एवं जायद 2027 | 500000/- | 10000/- | 500/- | 09.06.2026 दोपहर 3 बजे तक | 10.06.2026 प्रातः 11 बजे निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर |

निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के रु 10000 /- डी.डी./बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में दिनांक 09.06.2026 समय दोपहर 3 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस खुली निविदा हेतु दिनांक 10.06.2026 को आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करें।
- श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- प्रभारी अधिकारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
- संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, RARI, दुर्गापुरा।
- लेखा शाखा / नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी।

प्रभारी अधिकारी



कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

निविदा प्रपत्र 'अ'

- 1- निविदा सूचना – NO.F() / Tender / ARSS/ Diggi /2026-27/ दिनांक
2. निविदादाता का नाम
3. निविदादाता का पता.....
.....
.....
.....
4. निविदादाता का आधार संख्या/पहचान संख्या.....
5. निविदादाता का मोबाईल नम्बर.....
6. प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी के पक्ष में देय बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्यूरिटी) रु 10000 का डी0डी0/बेकर चैक संख्या.....दिनांक.....
7. निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद नं.....दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

✕

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

NO.F() / Tender / ARSS/ Diggi /2026-27/

date

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू. 10000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक, प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में जमा करवाना होगा— इसके अभाव में निविदा प्रपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
2. सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) रूपये 25000/- जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के नाम डिग्गी में भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में यह पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
3. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।
4. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) व कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदादाता या श्रमिक की फार्म पर कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. अगर निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है या कार्य संतोषजनक नहीं करता है या समय पर कार्य सम्पादित नहीं करता है। तो 3 दिवस के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर व कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त कर ली जाएगी व किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
7. सभी कार्य समय पर, कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार ही करवाने होंगे तथा सारा श्रमिक व्यय एवं औजारों आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
8. निविदादाता को पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट, तीरपाल, घमला आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

9. कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
10. निविदादाता के श्रमिक द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुँचाने पर नुकसान की वसूली निविदादाता से की जाएगी।
11. इस अनुबन्ध की अवधि खरीफ 2026 व रबी 2026-27 एवं जायद 2027 के लिए होगी।
12. खरीफ एवं जायद में लगभग 15 हेक्टर (मुंग, उखद, ज्वार, बाजरा, तिल, ढेंचा), रबी में लगभग 40 हेक्टर (गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, धनिया, मेथी, आदि) की बुवाई सम्भावित है, जो कि निर्देशानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है।
13. बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे। जिसमें पलेवा करना, बुवाई में सहयोग करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी, किटनाशी, फफूँदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना, बोरिया भरना, व तोलकर गोदाम में रखकर थप्पी लगाना, इत्यादि कार्य निविदादाता को करने होंगे।
14. सिंचाई करते समय हर साधन के लिए प्रत्येक फव्वारा लाइन की जिम्मेदारी रखनी होगी तथा प्रत्येक फव्वारा लाइन के पास एक आदमी रखना होगा। फव्वारे की लाइन एक दिन में तीन बार बदलनी होगी।
15. ट्रेक्टर सम्बन्धी सभी कृषि कार्य (डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर, कुली, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग आदि) की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी तथा इनसे सम्बन्धित डीजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
16. कृषि आदान (बीज, खाद, उर्वरक, विडिसाइड, फफूँदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि) की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति हैक्टर प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगी।
17. रोगिंग कार्य में फसल की किस्म के अवांछनीय पौधे फसल से हटाने पर निविदादाता मना नहीं कर सकेगा। तथा रोगिंग कार्य केन्द्र द्वारा करवाया जाएगा।
18. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।
19. निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी को होगा।
20. थ्रेसिंग में लगे थ्रेसर, ट्रेक्टर डीजल व श्रमिक का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
21. थ्रेसिंग के बाद उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए ट्रेक्टर ट्रौली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
22. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात माल को बोरियों में भरकर, तोलकर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। तोलते समय नमी एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
23. ईजंन व ओपन वेल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा

24. विद्युत बिल का भुगतान व ईजंन का डीजल केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।
25. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
26. फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
27. निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा रूपये के रूप में दिया जाएगा, जो कि सभी फसलों की उपज जमा करवाने की दिनांक से 7 दिवस पहले एवं 7 दिवस बाद तक कृषि उपज मण्डी, मालपुरा के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से की उपज का चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा। जो उपज बीज के योग्य नहीं होगी, उसे हिस्सेदारी के अनुसार बाट दिया जायेगा। निविदादाता को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा। व्यवसायिक उत्पादन में निविदादाता को दाना व चारों का हिस्सा दिया जायेगा।
28. मौसम या अन्य कारणों से अगर फसल खराब होती है, तो निविदादाता को श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
29. निविदादाता द्वारा उत्पादन भण्डार में रखने के अधिकतम एक माह में हिस्सा की उपज का भुगतान अदा कर दिया जाएगा।
30. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
31. निविदादाता या उसके श्रमिक केन्द्र के फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, तथा कोई भी अवाञ्छनीय गतिविधि नहीं करेंगे।
32. निविदादाता द्वारा प्रपत्र ब में दी गई हिस्सा प्रतिशत बातचीत (Negotiation) / बिना बातचीत स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्र को होगा।
33. यदि वाद उत्पन्न होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मालपुरा, टोक (राज0) होगा।
34. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ आधार कार्ड या पहचान पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
35. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे यह माना जाएगा की उसने प्रत्येक शर्त पढ़ व समझ ली है, तथा व उनसे पूर्ण रूप से सहमत है।
36. निविदादाता हिस्सेदारी का प्रतिशत निविदा प्रपत्र ब में भरकर अलग लिफाफे में जमा करवाये।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी-टोंक
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा सूचना- NO.F() / Tender / ARSS/ Diggi /2026-27/

date

निविदा प्रपत्र ब

मैं हिस्सा आधारित खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित हिस्सा प्रतिशत प्रस्तुत कर रहा हूँ

| | फसल | हिस्सेदारी | प्रतिशत |
|-------------------------------|---|--|---------|
| खरीफ 2026 एवं जायद 2027 | मूंग, उडद ज्वार, बाजरा तिल, ढेंचा | निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला दाना का हिस्सा | |
| | | निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला चारा का हिस्सा | |
| रबी 2026-27 | जौं, गेहूँ, चना सरसों, तारामीरा मेथी, धनिया | निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला दाना का हिस्सा | |
| | | निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला चारा का हिस्सा | |

निविदादाता के हस्ताक्षर